



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 7, शुक्रवार शाके 1942- मार्च 27, 2020
Chaitra 7, Friday, Saka 1942- March 27, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2020

एस.ओ. 195:-विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्र (समस्त सी एण्ड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) में उपलब्ध निम्न दवाओं (घटक युक्त दवाओं) को व्यापक लोक हित में तुरंत प्रभाव से एतद् द्वारा अधिगृहित करती है:-

1. Ritonavir+Lopinavir Caps/Tab (50 mg+200 mg) and (33.3 mg+133.3mg)
2. Oseltamivir 75 mg Caps, Dry Syrup (12mg/ml)
3. Hydroxychloroquine 200/400 mg Tab

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

रोहित कुमार सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव ।